



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1059।

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29, 2008/श्रावण 7, 1930

No. 1059।

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2008/SRAVANA 7, 1930

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संबर्थन विभाग)

(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2008

का. आ. 1865(अ)।—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को न्यूज़प्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूज़प्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(1) देशी न्यूज़प्रिंट विनियमिताओं की सिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“85. पैसर्व मलार पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री पलानीअन्दी पिल्लै, इडॉस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, कल्लूर रायापुरम, थीरुमायम,
पुदुकोट्टाई तमिलनाडू राज्य।”

[फा. सं. 4(8) 2008-कागज]

एन. एन. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 21 मई, 2008 के आदेश सं. का.आ. 1179(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।